

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-414 / 09
संस्थापित दिनांक-04.09.2009
Filling no. 235103001422009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- रामसिंह पुत्र सरदार सिंह उम्र 43 साल निवासी-ग्राम मोहरी तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपी

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 25.04.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 294, 324, 190 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में फरियादी अतल सिंह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया तथा अतल सिंह को लोक स्थल पर मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं अतल सिंह को लोक सेवक की सुरक्षा में आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी अतलसिंह अपनी पत्नी व भतीजे माखन के साथ थाना पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में गेहूँ करने खेत में जा रहा था। सुबह करीब 8:30 बजे की बात है जैसे ही फरियादी हरी लोधी के घर के सामने पहुँचा तो गाँव का रामसिंह लोधी ने एकदम उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया और उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, गाली देने से मना किया तो आरोपी रामसिंह ने उसे छोटी तलवार से मारा जिससे उसे बाँये कंधे में चोट आयी खून निकल आया, एक बार रामसिंह ने छोटी तलवार से और किया जो उसके दाहिने हाथ की कलाई में लगकर चोट लगकर खून निकल आया। मौके पर हरी लोधी था। रामसिंह ने उसे धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो उसे जान से खत्म दुंगा और कह कर भाग गया। फरियादी ने अपने घर पहुँचा वहा अपनी पत्नी पिस्ताबाई को खेत में बुलाकर जानकारी दी फिर तारई के अपने रिश्तेदार को ट्रेक्टर बुलवाकर थाना पिपरई में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का

नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.03.2009 सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम मोहरी में फरियादी अतल सिंह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को लोक स्थल पर मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
4.	क्या घटना दिनांक समय स्थान पर अतल सिंह को लोक सेवक की सुरक्षा में आवेदन देने से विरत रहने के लिये जान से मारने की धमकी दी ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2 व 4:-

05— विचारणीय प्रश्न क्र. 1, 2 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। पिस्ताबाई अ0सा01, अतल सिंह अ0सा02, सीताराम अ0सा03, हरिसिंह अ0सा04, माखन सिंह अ0सा05 का कहना है कि वह अभियुक्त रामसिंह को जानते हैं। साक्षी पिस्ताबाई अ0सा01 और अतल सिंह अ0सा02 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उनके न्यायालयीन कथनों से 3-4 वर्ष पूर्व की होकर सुबह करीब 8 बजे की है। प्रकरण में फरियादी/आहत अतल सिंह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 में आरोपी रामसिंह का एकदम सामने आकर रास्ता रोकने और मां बहन की बुरी-बुरी गालियां देना एवं पुलिस में रिपोर्ट करने पर जान से खत्म कर देना व्यक्त किया, किन्तु स्वयं फरियादी/आहत अतल सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में

आरोपी रामसिंह द्वारा उसका रास्ता रोकने वाली बात व्यक्त नहीं की है और न ही यह व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिंह द्वारा उसे गालियां दी गई थी और न ही यह व्यक्त किया है कि उक्त गालियां उसे सुनने में बुरी लगी और उसे क्षोभ कारित हुआ हो।

06— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने उसे घटना दिनांक के बाद बुरी बुरी गालियां दी थी और जान से खत्म कर देना भी व्यक्त किया। **विष्णु प्रसाद वि० म० प्र० राज्य 1975 जे.एल.जे 148** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मां बहन की गालियां अश्लीलता की परिधि में नहीं आती है ऐसे शब्द अभद्र तो हो सकते हैं किन्तु अश्लील नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनिय है कि प्रकरण में स्वयं फरियादिया/आहत अतल सिंह द्वारा उसके कथनों में स्पष्ट रूप से यह तथ्य भी नहीं आया कि अभियुक्त ने उसे कौन से शब्द उच्चारित कर गालियां दी थी। स्पष्ट शब्दों के संबंध में साक्ष्य न होने से यह प्रमाणित नहीं पाया जा सकता कि अभियुक्त द्वारा उच्चारित शब्द अश्लील होकर किसी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मस्तिष्क को भ्रष्ट करने में समर्थ है।

07— अतल सिंह अ०सा००२ से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी ने कहा कि अगर तूने घटना की तो जान से खत्म कर देगे। उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त वर्तमान विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 के संबंध में अभिलेख पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। फरियादी अतल सिंह अ०सा००२ ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा दी गई अभिकथित धमकी से वह लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो, इसके विपरीत फरियादी द्वारा घटना दिनांक को ही अभियुक्त के विरुद्ध थाना पिपरई में रिपोर्ट लेख कराना दर्शित है जिससे यह दर्शित नहीं है कि फरियादी घटना दिनांक को लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहा हो।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवचेना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी अतल सिंह अ०सा००२ का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा लोक सेवक की संरक्षा हेतु आवेदन देने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी।

विचारणीय प्रश्न क. 3:—

09— अतल सिंह अ०सा००२ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 3 साल पहले की होकर सुबह 8 बजे की है। आरोपी रामसिंह ने उसे कटार या कृपाण से मारा था जो उसके बाएं हाथ में कंधे तरफ एवं दांये हाथ के दडा में लगी थी जिसके निशान आज भी बने हुए हैं। आरोपी मारपीट कर भाग गया था। अतल सिंह अ०सा००२ ने उसके न्यायालयी कथनों में बताया कि

उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसे पिपरई से मुंगावली इलाज के लिये भेजा था और बाद में ईलाज के लिये गुना भेजा था। साक्षी से यह पूछे जाने पर की घटना स्थल पर कौन कौन था तो साक्षी ने कहा कि वह तो बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी ने बताया कि जप्ती पत्रक प्र.पी.2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में साक्षी अतल सिंह ने व्यक्त किया कि आरोपी द्वारा जब उसे मारा गया तब वह होश में था लेकिन जैसे ही उसे चोट लगी वह बेहोश हो गया था। टीकाराम अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि उसे उसके भाई ने घटना के बारे में एक महीने बाद बताया था और उसके भाई अतल सिंह ने आरोपी द्वारा मारने के संबंध में घटना के पूर्व संदेह व्यक्त किया था।

10— अतल सिंह अ0सा02 द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में बताया कि जब वह खेत पर जा रहा था तो रघुराज के दरबाजे पर हरी और रामसिंह दोनों बैठे थे, जबकि हरिसिंह अ0सा04 द्वारा उसके न्यायालयीन कथनों में अभियोजन के सम्पूर्ण घटनाक्रम के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। इस प्रकार साक्षी हरिसिंह की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। पिस्ताबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि घटना उसके न्यायालयीन कथनों से करीब 4 साल पहले की है वह खेत पर चना काटने गई थी वह आगे निकल गई थी और उसका पति अटल सिंह पीछे आ रहा था तो आरोपी रामसिंह ने आधे हाथ की कृपाण से हाथ में मारा था फिर उल्टे हाथ के सामने तरफ तलबार मारी थी। पिस्ताबाई अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में इस बात को स्वीकार किया कि घटना के समय वह खेत पर थी और उसने घटना होती नहीं देखी है लेकिन उसने व्यक्त किया कि थोड़े ही समय में उसे घटना का पता चल गया था कि आरोपी ने उसके पति के साथ मारपीट की है।

11— डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ0सा06 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक 17.03.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगावली में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ होकर आहत अतल सिंह का मेडिकल परीक्षण किया था। मेडिकल परीक्षण किये जाने पर बाएं कंधे पर आगे की तरफ 3 गुणा 1 गुणा 2 सेमी गहरा घाव एवं दाएं हाथ की हथेली पर 3 गुणा 1/2 गुणा 1/2 सेमी का कटा घाव था। उक्त दोनों चोटें किसी ठोस व धारदार वस्तु से प्रहार से आना व्यक्त किया। साक्षी अतल सिंह के कथनों की समपुष्टि सुसंगत चिकित्सीय रिपोर्ट प्र.पी. 7 से भी होती है।

12— परमाल सिंह चौहान अ0सा07 के अनुसार वह दिनांक 17.03.09 थाना चंदेरी में एएसआई के पद पर पदस्थ होना बताया है। चूंकि प्रकरण थाना पिपरई का है एवं उक्त साक्षी के कथनों में थाना चंदेरी सहवनवश लिखा होना प्रतीत होता है जोकि एक लिपिकिय त्रुटि मात्र है। उक्त साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई थी जिसमें साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार दर्ज किये थे और घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 6 हरिसिंह की निशानदेही पर तैयार किया जाना व्यक्त किया जिसका बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और आरोपी रामसिंह

को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 3 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं तलाशी पंचनामा प्र.पी. 8 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी परमाल सिंह अ0सा0 7 द्वारा व्यक्त किया कि तलाशी में उसे कोई हथियार जप्त नहीं किया था क्योंकि तलाशी में कोई हथियार नहीं मिला था। यद्यपि यह बात सही है कि आहत अतल सिंह अ0सा02, पिस्ताबाई अ0सा01 द्वारा आरोपी रामसिंह द्वारा अतल सिंह को जिस हथियार से मारना प्रकट किया है उक्त हथियार अनवेषण में पुलिस जप्त करने में नाकाम रही है। किन्तु प्रकरण में अपराध में प्रयुक्त हथियार जप्त न होने से अभियोजन कहानी अपना महत्व नहीं खो देती है।

13— डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ0सा06 द्वारा आहत को आई हुई चोटे किसी धारदार पत्थर या पत्थर के टुकड़े पर गिरने से आ सकना संभव होना स्वीकार किया है। किन्तु उक्त प्रकार की संभावना किसी भी साक्षी के परीक्षण के दौरान नहीं पूछी गई है। **म0प्र0 शासन बनाम हमीम खान 1999 "2" जेएलजेपी-310** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि यदि आहत को आई हुई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से होता है तो ऐसी साक्ष्य को विश्वसनीय माना जा सकता है।

14— अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अतल सिंह द्वारा पूर्व विवाद के चलते अभियुक्त कि विरुद्ध झुठी रिपोर्ट लिखाई है किन्तु इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है इसके अलावा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। **रोकड सिंह बनाम म0प्र0 राज्य एमपीएलजे 1996** पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया है कि साक्षी द्वारा वृत्तांत का वर्णन भाषा व तरीके में फेरफार स्वाभाविक है उससे वृत्तांत की यथार्थता प्रभावित नहीं होती है, इसके विपरीत वृत्तांत में एक राय से साक्षी को सिखाने पढ़ाने का संकेत मिलता है। फरियादी अतल सिंह अ0सा02, पिस्ताबाई अ0सा01 के कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे हैं तथा अतल सिंह अ0सा02 के कथनों की संमपुष्टि अविलम्ब सुसंगत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 से भी होती है तथा आहत को आई हुई चोटों का समर्थन डॉ. दिनेश त्रिपाठी अ0सा06 के कथनों से भी होता है। अभिलेख पर आहत अतल सिंह एवं अन्य साक्षीगण की साक्ष्य को खारिज किये जाने हेतु किसी भी प्रकार के बड़े विरोधाभास अथवा लोप नहीं हैं तथा फरियादी अतल सिंह के कथन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। अतः साक्षीगण के कथनों के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त रामसिंह द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारपीट कर उपहति कारित की।

15— जहाँ तक अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया उपरोक्त उपहति कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त उसके द्वारा किये जा रहे कृत्य एवं उपयोग में लाये गये साधनों को काम में लाते समय यह

जानता था या यह विश्वास रखने का कारण रखता था कि उक्त कृत्य से आहत को उक्तानुसार चोटें आना संभावित है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार या गंभीर प्रकोपन के परिणामस्वरूप आहत को उपरोक्त चोटें कारित किया जाना दर्शित नहीं है। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत अतल सिंह को धारदार अस्त्र से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी। अतः अभियुक्त को प्रमाणित अपराध धारा 324 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

16. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

पुनश्च:-

17- अभियुक्त पक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में सश्रम कारावास
324 भा0द0स0	छह माह	200/- रुपये	10 दिवस

18- अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

19- प्रकरण में जप्तशुदा एक खून आकूदा सफेद बनियान, कथैई पेन्ट खून आकूदा, आस्मानी शर्ट खून आकूदा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

//7//दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-414/09

20- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0